Sariska Mining: NGT Reveals Mining Activities Within 10 km of Sariska Sanctuary

The National Green Tribunal (NGT) has expressed concern about mining operations around the Sariska Tiger Reserve in Alwar, Rajasthan. The Joint Committee, which was set up on the issue, presented a report of nearly 200 pages to the tribunal, which pointed out that mining operations have been conducted in the area within a radius of 1 to 10 kilometres from the Sariska sanctuary.

The report also stated that National Board for Wildlife (NBWL) permission is considered necessary for mining activities within this surrounding area, making the issue significant from the perspective of wildlife conservation and environmental protection.

RASO

Key Highlights

Particular	Details
Issue	Mining activities around Sariska Sanctuary
Location	Alwar, Rajasthan
Authority Hearing the Matter	National Green Tribunal (NGT)
Report Submitted By	Joint Committee

Report Length	Nearly 200 pages
Mining Activity Range	1 to 10 km from Sariska Sanctuary
Wildlife Authority Mentioned	National Board for Wildlife (NBWL)
Key Requirement	NBWL permission considered necessary for mining in the concerned area
Other Permissions	Some mines reportedly have environmental permissions or NOCs
Significance	Protection of wildlife habitat and regulation of mining around protected areas

Mining Activities Around Sariska

According to the Joint Committee's report submitted before the NGT, mining operations are being conducted within the 1–10 km area surrounding Sariska Sanctuary. The results have sparked concerns about the effects of the mining activity on the Protected Area's ecosystem and wildlife habitat.

The report also noted that some mines possess environmental permissions or No Objection Certificates (NOCs) issued by district- or state-level environmental authorities.

NGT Proceedings

Justice Shiv Kumar Singh of the National Green Tribunal presided over the matter. The Joint Committee submitted its detailed report on the status of mining in the vicinity of Sariska Sanctuary in the proceedings.

The report's conclusions are relevant since mining near a protected wildlife area may affect habitat, ecological balance and wildlife movement.

Role of the National Board for Wildlife

The National Board for Wildlife (NBWL) plays an important role in matters involving wildlife conservation and activities affecting protected areas.

The Joint Committee has considered NBWL permission necessary for mining activities within the relevant 1–10 km surrounding area of Sariska Sanctuary. This is especially relevant with regard to environmental governance in the state of Rajasthan.

RASonly

Why Is This Current Affair Important?

The Sariska mining issue is important for competitive examinations because it connects several topics:

- Sariska Tiger Reserve
- Wildlife conservation
- National Green Tribunal (NGT)
- National Board for Wildlife (NBWL)
- Environmental clearances
- Protected areas of Rajasthan
- Sustainable development and mining regulation

Conclusion

The NGT proceedings and the Joint Committee's report have highlighted the continued presence of mining activities within 1 to 10 km of Sariska Sanctuary in Alwar. It implies that before any activity takes place in the area, the consent of NBWL is needed, thereby highlighting the need to balance mining and economic activities with wildlife conservation and environmental protection. The development is specifically applicable to environmental and wildlife governance in Rajasthan.

MCQs

Q1. In which district is the Sariska Tiger Reserve located?

A. Jaipur
B. Alwar
C. Bharatpur
D. Kota

Answer: B. Alwar

Q2. Which organisation heard the case concerning mining activities around Sariska?

A. Supreme Court of India
B. Rajasthan High Court
C. National Green Tribunal
D. Central Pollution Control Board

Answer: C. National Green Tribunal

Q3. According to the Joint Committee report, mining activities were found within what distance from Sariska Sanctuary?

A. 1–5 km
B. 1–10 km

RASonly

C. 10–20 km
D. 20–30 km

Answer: B. 1–10 km

Q4. Which body's permission has been considered necessary for mining in the concerned area?

A. NITI Aayog
B. National Board for Wildlife
C. Election Commission of India
D. Archaeological Survey of India

Answer: B. National Board for Wildlife

सरिस्का खनन: NGT में खुलासा, सरिस्का अभयारण्य से 10 किमी के भीतर चल रहीं खानें

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस मुद्दे पर गठित जॉइंट कमेटी ने अधिकरण के समक्ष करीब 200 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि सरिस्का अभयारण्य से 1 से 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर खनन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस आसपास के क्षेत्र में खनन गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अनुमति आवश्यक मानी जाती है, जिससे यह मुद्दा वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्रमुख बिंदु

बिंदु	विवरण
मुद्दा	सरिस्का अभयारण्य के आसपास खनन गतिविधियां
स्थान	अलवर, राजस्थान
मामले की सुनवाई करने वाला प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली संस्था	जॉइंट कमेटी
रिपोर्ट की लंबाई	करीब 200 पृष्ठ
खनन गतिविधियों का दायरा	सरिस्का अभयारण्य से 1 से 10 किमी
संबंधित वन्यजीव प्राधिकरण	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)

RASonly

मुख्य आवश्यकता	संबंधित क्षेत्र में खनन के लिए NBWL की अनुमति आवश्यक मानी गई
अन्य अनुमतियां	कुछ खानों के पास पर्यावरणीय अनुमति या NOC होने की जानकारी
महत्व	वन्यजीव आवास की सुरक्षा और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास खनन का नियमन

सरिस्का के आसपास खनन गतिविधियां

NGT के समक्ष प्रस्तुत जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, सरिस्का अभयारण्य के आसपास **1–10** किलोमीटर के क्षेत्र में खनन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों के आवास पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं सामने आई हैं।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ खानों के पास जिला या राज्य स्तर के पर्यावरणीय प्राधिकरणों द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र **(NOC)** मौजूद हैं।

NGT में कार्यवाही

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में इस मामले की सुनवाई जस्टिस शिव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। जॉइंट कमेटी ने कार्यवाही के दौरान सरिस्का अभयारण्य के आसपास खनन की स्थिति से संबंधित अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र के पास खनन गतिविधियां वन्यजीवों के आवास, पारिस्थितिक संतुलन और वन्यजीवों की आवाजाही को प्रभावित कर सकती हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड **(NBWL)** वन्यजीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जॉइंट कमेटी ने सरिस्का अभयारण्य के संबंधित **1–10** किलोमीटर के क्षेत्र में खनन गतिविधियों के लिए **NBWL** की अनुमति को आवश्यक माना है। यह राजस्थान में पर्यावरणीय शासन और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

यह करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है?

सरिस्का खनन का मुद्दा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा हुआ है:

- सरिस्का टाइगर रिजर्व
- वन्यजीव संरक्षण
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)

RASonly

- पर्यावरणीय मंजूरी
- राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र
- सतत विकास और खनन नियमन

निष्कर्ष

NGT की कार्यवाही और जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट ने अलवर में सरिस्का अभयारण्य से **1** से **10** किलोमीटर के भीतर चल रही खनन गतिविधियों को उजागर किया है। इसका अर्थ है कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी गतिविधि से पहले NBWL की सहमति आवश्यक मानी जाती है। यह घटनाक्रम खनन और आर्थिक गतिविधियों के साथ वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह राजस्थान में पर्यावरण और वन्यजीव शासन की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

MCQs

Q1. सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है**?**
A. जयपुर
B. अलवर
C. भरतपुर
D. कोटा

उत्तर: **B.** अलवर

Q2. सरिस्का के आसपास खनन गतिविधियों से संबंधित मामले की सुनवाई किस संगठन ने की**?**
A. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
B. राजस्थान उच्च न्यायालय
C. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
D. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर: **C.** राष्ट्रीय हरित अधिकरण

Q3. जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का अभयारण्य से कितनी दूरी के भीतर खनन गतिविधियां पाई गईं**?**
A. 1–5 किमी
B. 1–10 किमी
C. 10–20 किमी
D. 20–30 किमी

उत्तर: **B. 1–10** किमी

Q4. संबंधित क्षेत्र में खनन के लिए किस संस्था की अनुमति को आवश्यक माना गया है**?**
A. नीति आयोग
B. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
C. भारत निर्वाचन आयोग
D. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

उत्तर: **B.** राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

RASonly

Rajasthan to Conduct Security Audit of Major Tourist and Religious Places

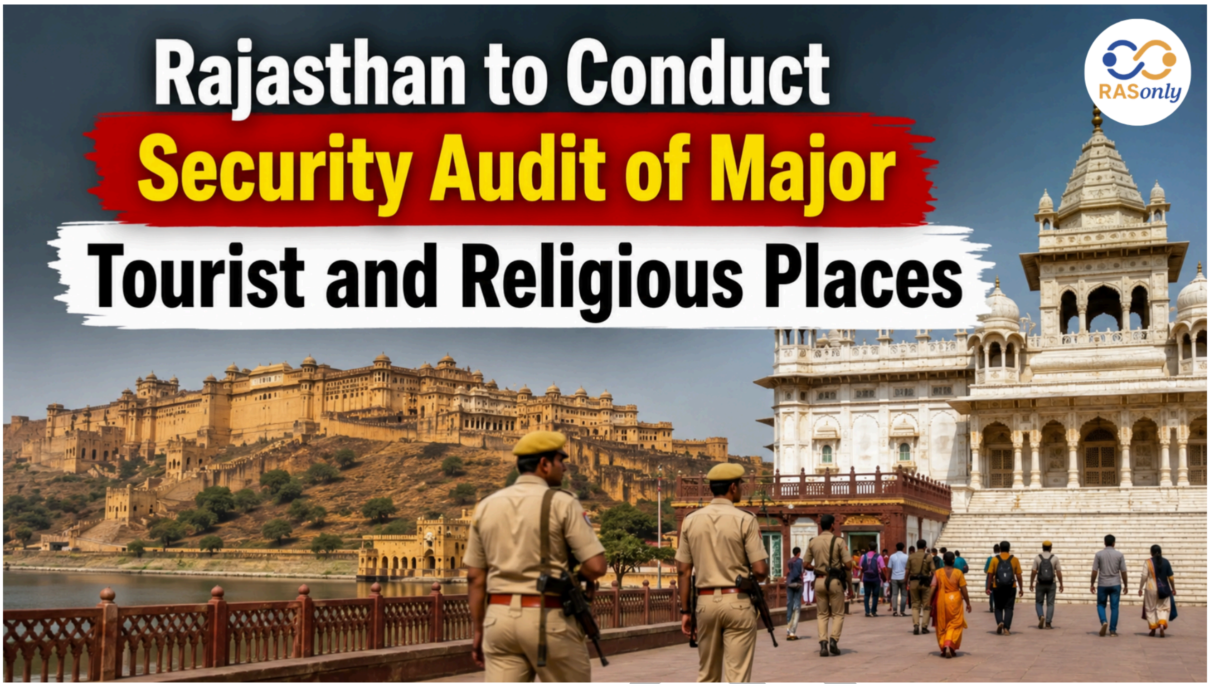

Rajasthan Police has taken the decision to improve the safety and convenience of all the tourists and pilgrims of the state. Under the leadership of DGP Rajeev Kumar Sharma, a high-level meeting was held at Police Headquarters, where it was directed that security audits of all major tourist and religious destinations, including Khatu Shyam Ji and Salasar Balaji, be completed by September 30, 2026. The plan focuses on security, crowd management, CCTV surveillance, Tourist Assistance Force (TAF), medical facilities and multilingual tourist support.

Key Highlights

Area	Key Decision
Security Audit	Major tourist sites to be audited by Sept. 30
Crowd Management	Additional police and TAF during weekends, long weekends and fairs
CCTV	More CCTV cameras and monitoring of sensitive areas
Tourist Assistance	Help booths, Police Helpline 112 and RajCop Citizen App information
Medical & Women Safety	Emergency medical support and women police personnel

RASONLY

Tourism Police	Proposals for tourism police stations in Sawai Madhopur and Jaisalmer

Why Is It Important?

The initiative will help make Rajasthan's tourism destinations safer, more organized and tourist-friendly. Safety gaps can be identified through regular security audits, and CCTV, trained staff and emergency facilities are able to help respond better to incidents. Multilingual information will also make it easier for international tourists to access assistance.

Heritage Walks in Jaipur

The meeting also emphasized developing heritage walks in Jaipur so tourists can explore the city's historical and cultural heritage in a more organized and secure manner.

Conclusion

Rajasthan Police's new tourism security plan is an important step towards making the state's major tourist and religious destinations safer, better managed and more visitor-friendly. Regular security audits, increased CCTV coverage, a trained Tourist Assistance Force, emergency medical facilities and multilingual support will help address the needs of both domestic and international visitors. Better coordination between the police, tourism department and local administration will further improve crowd management and emergency response. Overall, these measures can strengthen Rajasthan's image as a safe, secure and well-organized tourism destination.

MCQs

1. By when will the security audits be completed?
A) August 15
B) September 30
C) October 2
D) December 31
Answer: B) September 30

2. Which force will assist tourists?
A) TAF
B) RAF
C) CRPF
D) BSF
Answer: A) TAF

3. Which cities have proposals for tourism police stations?
A) Jaipur & Jodhpur
B) Udaipur & Kota

RASonly

C) Sawai Madhopur & Jaisalmer
D) Ajmer & Bikaner
Answer: C) Sawai Madhopur & Jaisalmer

4. What additional tourism initiative was discussed for Jaipur?
A) Desert Safari
B) Heritage Walks
C) River Cruise
D) Cable Car
Answer: B) Heritage Walks

राजस्थान के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों का होगा सुरक्षा ऑडिट

राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को मजबूत करने का निर्णय लिया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए गए कि खाटूश्यामजी और सालासर बालाजी सहित सभी प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों का सुरक्षा ऑडिट **30** सितंबर **2026** तक पूरा किया जाए। इस योजना में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी, पर्यटक सहायता बल (TAF), चिकित्सा सुविधाओं और बहुभाषी पर्यटक सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

क्षेत्र	मुख्य निर्णय
सुरक्षा ऑडिट	30 सितंबर तक प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुरक्षा ऑडिट
भीड़ प्रबंधन	वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड और मेलों में अतिरिक्त पुलिस व TAF की तैनाती
सीसीटीवी	अधिक सीसीटीवी कैमरे और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी
पर्यटक सहायता	सहायता बूथ, पुलिस हेल्पलाइन 112 और राजकॉप सिटीजन ऐप की जानकारी
चिकित्सा एवं महिला सुरक्षा	आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और महिला पुलिसकर्मियों की उपलब्धता
पर्यटन पुलिस	सवाई माधोपुर और जैसलमेर में पर्यटन थाने के प्रस्ताव

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह पहल राजस्थान के पर्यटन स्थलों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटक-अनुकूल बनाने में मदद करेगी। नियमित सुरक्षा ऑडिट से सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान की जा सकेगी, जबकि सीसीटीवी,

RASonly

प्रशिक्षित कर्मियों और आपातकालीन सुविधाओं से घटनाओं पर बेहतर प्रतिक्रिया संभव होगी। बहुभाषी जानकारी से विदेशी पर्यटकों को भी सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।

जयपुर में हेरिटेज वॉक

बैठक में जयपुर में हेरिटेज वॉक विकसित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि पर्यटक शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से देख सकें।

निष्कर्ष

राजस्थान पुलिस की यह नई पर्यटन सुरक्षा योजना प्रदेश के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नियमित सुरक्षा ऑडिट, बेहतर सीसीटीवी कवरेज, प्रशिक्षित पर्यटक सहायता बल, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं और बहुभाषी सहायता से देशी-विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। पुलिस, पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। कुल मिलाकर, ये कदम राजस्थान की पहचान को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और विश्वसनीय पर्यटन गंतव्य के रूप में और मजबूत कर सकते हैं।

MCQs

1. सुरक्षा ऑडिट कब तक पूरा किया जाना है**?**
A) 15 अगस्त
B) 30 सितंबर
C) 2 अक्टूबर
D) 31 दिसंबर
उत्तर: **B) 30** सितंबर

2. पर्यटकों की सहायता के लिए किस बल को मजबूत किया जाएगा**?**
A) TAF
B) RAF
C) CRPF
D) BSF
उत्तर: **A) TAF**

3. किन शहरों में पर्यटन थाने के प्रस्ताव हैं**?**
A) जयपुर और जोधपुर
B) उदयपुर और कोटा
C) सवाई माधोपुर और जैसलमेर
D) अजमेर और बीकानेर
उत्तर: **C)** सवाई माधोपुर और जैसलमेर

4. जयपुर के लिए किस अतिरिक्त पर्यटन पहल पर चर्चा हुई**?**
A) डेजर्ट सफारी
B) हेरिटेज वॉक
C) रिवर क्रूज
D) केबल कार
उत्तर: **B)** हेरिटेज वॉक

RASonly

RASonly